सेवा में, 2025/603

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
बांदीकुई

[illegible]
546

विषय:- ग्राम बन्दी का बास के ख.नं. 766, 767, 751, 797 में खातेदार का नाम शुद्ध करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बन्दी का बास के ख.नं. 766, 767, 751, 797 में मुझ प्रार्थी/खातेदार का नाम रामपाल दर्ज हो गया है जो कि अशुद्ध है मेरा सही नाम रामलाल सैनी पुत्र कालूराम सैनी है। जबकि ग्राम बन्दी का बास के अन्य खाता सं. 19, 23, 35 में मुझ प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र कालू दर्ज है जो सही है। उक्त ख.नं. 766, 767, 751, 797 में मेरा नाम अशुद्ध दर्ज होने के कारण मुझे राज्य सरकार व भारत सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अत: श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम बन्दी का बास के ख.नं. 766, 767, 751, 797 में मेरा सही नाम रामलाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी
[signature]
रामलाल S/o कालूराम सैनी
नि० बन्दी का बास

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 17/11/2025

मेरा नाम रामलाल सैनी S/o कालूराम सैनी है। मैं खन्दी का बास का रहने वाला हूँ। शपथ दिलवायी गयी।

<u>बयान</u>

श्रीमान जी ग्राम खन्दी का बास की जमाबंदी संवत 2072-2075 के खातासं. 3 के ख.नं. 751, 797 में तथा खातासं. 13 के ख.नं. 766, 767 में मुझ खातेदार का नाम रामपाल पुत्र कालू जाति माली दर्ज रिकॉर्ड है जो कि गलत है जबकि मेरा वास्तविक/शुद्ध नाम रामलाल पुत्र कालूराम है। मेरे सभी दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, पैनकार्ड, पहचानपत्र, राशनकार्ड सभी मे रामलाल सैनी S/o कालूराम दर्ज है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त सभी खसरा नंबरो में मेरा नाम रामलाल सैनी S/o कालूराम सैनी करने की कृपा करें।

R.O & AC
17.11.25

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्याः– 154/2025
प्रकरण दायर दिनांकः–10.11.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः–17.11.2025

उनवान

1. रामलाल सैनी पुत्र श्री कालूराम सैनी निवासी बच्छी का बास तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लै0 रे0 एक्ट

प्रकरण निर्णय दिनांकः–17.11.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय का पेश किया कि मुझ प्रार्थी का नाम वास्तविक/शुद्ध नाम रामलाल सैनी पुत्र कालूराम सैनी है जबकि ग्राम बच्छी का बास के खसरा नंबर 766, 767, 751, 797 में मुझ प्रार्थी/खातेदार का नाम रामपाल पुत्र कालू दर्ज चला आ रहा है जो कि अशुद्ध है। जबकि ग्राम बच्छी का बास के अन्य खाता संख्या 19, 23, 35 में मुझ प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र कालू दर्ज है जो सही है। उक्त खसरा नंबरान 766, 767, 757, 797 में मेरा नाम अशुद्ध दर्ज होने के कारण मुझे राज्य सरकार व भारत सरकार से मिलने वाली समस्त योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरे सभी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड सभी में मेरा नाम रामलाल सैनी पुत्र कालूराम सैनी दर्ज है। अतः ग्राम बच्छी का बास के खसरा नंबर 766, 767, 751, 797 में रामपाल के स्थान पर रामलाल सैनी पुत्र कालू करने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बांदीकुई से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गयी। दस्तावेजात व प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम बच्छी का बास की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 3 के खसरा नंबर 751,797 में तथा खाता नंबर 13 के खसरा नंबर 766, 767 में खातेदार का नाम रामपाल पुत्र कालू जाति माली दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम भांडेडा की मिसल की खतौनी संख्या 28 तथा 89 में भी उपरोक्त खसरा नंबर में खातेदार का नाम रामपाल पुत्र कालू जाति माली दर्ज रिकॉर्ड है जो

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

वर्तमान रिकॉर्ड में भी लगातार चला आ रहा है। ग्राम बच्छी का बास के खातेदार के अन्य खाता नंबर 19, 23, 35 में प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र कालू दर्ज है जो सही है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व जमाबंदी 2072–2075 के खाता संख्या 03 खसरा नंबर 751, 797, तथा खाता नंबर 13 के खसरा नंबर 766, 767 में प्रार्थी का नाम रामपाल सहवन से कारित होना प्रतीत होता है, जबकि प्रार्थी का नाम रामलाल है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन व तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बच्छी का बास के खाता संख्या नया 3 पुराना 5 के खसरा नंबर 751, 797 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3800 हैक्टे तथा खाता संख्या नया 13 पुराना 25 के खसरा नंबर 766, 767 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5700 में रामपाल पुत्र कालू को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामलाल पुत्र कालू दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बांदीकुई तद्अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

17/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner